(13)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2246–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 24–6–16 पारित द्वारा तहसीलदार परगना आराने जिला गुना प्रकरण कमांक 03/अ–68/2015–16.

रहीस खां पुत्र याकूब खां
निवासी ग्राम जगदंबा कॉलौनी आरोन
तहसील आरोन जिला गुना .....आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0 शासन .....अनावेदक

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्रीमती नीना पाण्डे, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 14/7/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार परगना आराने जिला गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–6–16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि समस्त नगरवासी आरोन जिला गुना की ओर से इकबाल अहमद आदि द्वारा दिनांक 24–2–2016 को अपर कलेक्टर, जिला गुना के समक्ष आवेदक एवं अन्य के द्वारा पटवारी हल्का नं. 22 आरोन–गुना रोड स्थित सर्वे कमांक 1044/1 मि. रकबा 0.209 तथा सर्वे कमांक 19/1 रकबा 1.046 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण किये जाने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा उक्त शिकायती आवेदन पत्र तहसीलदार, आरोन को जांच प्रतिवेदन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 03/अ–68/2015–16 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदक की ओर से आपत्ति आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 24–6–16 को आदेश पारित कर आवेदक की आपत्ति निरस्त की गई । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक एस.ए. 135/2012 में पारित आदेश दिनांक 23–11–2015 द्वारा संहिता की धारा 162 के अंतर्गत कार्यवाही के निर्देश दिये गये थे, किन्तु कलेक्टर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही नहीं की गई है । यह भी कहा गया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में आवेदक की ओर से कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत संहिता की धारा 162 के आवेदन पत्र पर प्रकरण विचाराधीन है । इस आधार पर कहा गया कि विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध जिस न्यायालय द्वारा जिस बिन्दु पर एक बार कार्यवाही सम्पादित की गई है, उसके विरूद्ध पुनः कार्यवाही संपादित नहीं की जा सकती है । ऐसी स्थिति में तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 248 के अंतर्गत प्रकरण प्रचलन योग्य नहीं है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार के समक्ष आवेदक की ओर से प्रकरण के न्यायिक निराकरण के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे, जिनका अवलोकन किये बिना ही आवेदक की आपत्ति निरस्त करने में गंभीर वैधानिक भूल की गई है । उनके द्वारा निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि शासकीय है, जिस पर आवेदक द्वारा अवैध अतिकमण किया गया है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश उचित होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । आवेदक की ओर से इस न्यायालय में यह निगरानी माननीय उच्च न्यायालय के जिस आदेश के आधार पर प्रस्तुत की गई है, वह आदेश अन्य प्रकरण के सम्बंध में है, जिसका लाभ आवेदक को नहीं दिया जा सकता है । वैसे भी संहिता की धारा 162 के तहत नियमों का प्रकाशन होना है, इसलिए तहसीलदार द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करना औचित्यपूर्ण नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार परगना आराने जिला गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–6–16 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर